चन्द्रभानसिंह विरूद्ध भगवतसिंह आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2568–दो/12 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
... 7-14	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में सुनवाई दिनांक 22–5–14 को उभयपक्षों को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 2– अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के प्रावधानों के अंतर्गत है । अपर आयुक्त ने एस.डी.ओ. के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उनके समक्ष प्रस्तुत की गई निगरानी को इस आधार पर निरस्त किया है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 में दिनांक 30.12.11 को हुए संशोधन के उपरांत उनको निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं है । यह सही है कि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप उनको निगरानी सुनने की अधिकारिता नही है परंतु इस प्रकरण की स्थिति भिन्न है क्योंकि उनके अनुसार यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का है । राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के अंतर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता आयुक्त को है । अतः उनका आदेश इसी आधार पर निरस्त करते हुए उन्हें प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी का निराकरण विधिवत करें । निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर	

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक /2012 निगरानी R-2568 II / 2012

चन्द्रभानसिंह पुत्र सूबाजू जाति यादव आयु 45 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी करियाखेड़ी, तेहसील व जिला अशोक नगर म0प्र0

......प्रार्थी

बनाम

1. भगवतसिंह पुत्र दलूपसिंह जाति ठाकुर आयु 53 साल व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम कुकरैटा तेहसील चन्देरी जिला अशोक नगर म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलैक्टर अशोक नगर जिला अशोक नगर म0प्र0

......प्रतिप्रार्थीगण

14/8/2012